संख्या-16/2026/001-215डब्लू-25-27-3099/54/2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2026**

विषय:- भू-सन्दर्भवाद संख्या-138/2005, निष्पादन वाद संख्या-12/2013 प्रथम अपील संख्या-138/2013 (परिवर्तित प्रथम अपील संख्या-34/2014) प्रकीर्ण वाद संख्या-04/2025 एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-106/2025 रामौतार बनाम सरकार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-290/पूगंननिख-6/कोर्ट केस (रामौतार) दिनांक 17.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6 नजीबाबाद से सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वाद सं0-138/2005, रामौतार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 जनपद न्यायालय, द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 एवं प्रथम अपील संख्या-138/2013 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद दिनांक 10.02.2017 के अनुपालन में डिक्रिटल धनराशि मा0 लारा कोर्ट, मुरादाबाद में जमा कराये जाने हेतु धनराशि रू0 2,76,273.00 (रू0 दो लाख छियत्तर हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: भू-सन्दर्भ वाद सं0-138/2005, रामौतार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 मा0 जनपद न्यायालय, द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 एवं प्रथम अपील संख्या-138/2013 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.02.2017 के अनुपालन में मा0 लारा कोर्ट, मुरादाबाद में डिक्रिटल धनराशि जमा कराये जाने हेतु धनराशि रू0 2,76,273.00 (रू0 दो लाख छियत्तर हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाय। किसी गलत भू-स्वामी को किये गये भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,76,273.00 (रू0 दो लाख छियत्तर हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-094 लेखाशीर्षक- 4700-19-050-10-16-24 पूर्वीगंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,मुरादाबाद।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, बिजनौर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर।
10- अधिशासी अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद।
11-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in